



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173735

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7845**

**सन् 2026**

मोहम्मद अली

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| आवेदक (गण) के अधिवक्ता   | : | शशि कुमार मिश्रा |
| विपक्षी (गण) के अधिवक्ता | : | शासकीय अधिवक्ता  |

**न्यायालय संख्या- 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 401 सन् 2023 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504, 506 थाना - सिविल लाइन्स जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक सूचनाकर्ता का पति है। मामूली वैवाहिक विवाद के कारण, सूचनाकर्ता ने कई तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हुए एक झूठी अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 20019/2023 में आवेदक को अंतरिम सुरक्षा दी थी। पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने के बाद, आवेदक ने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 8950/2025 दाखिल किया था, जिसमें न्यायालय ने शुरू में आवेदक के पक्षकार में अंतरिम आदेश दिया था और प्रकरण को मध्यस्थता के लिए भेजा था। हालाँकि, मध्यस्थता केंद्र में जमा करने के लिए न्यायालय द्वारा तय की गई रकम आवेदक जमा नहीं कर सका, जिसके कारण न्यायालय ने अंतरिम आदेश रद्द कर दिया। वह प्रार्थना पत्र अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है। आवेदक का एक और प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जो सूचनाकर्ता के साथ उसी वैवाहिक विवाद से संबंधित था। यह बिना चोट वाला प्रकरण है और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई तथ्यों से जुड़ी दलीलों को गलत नहीं ठहरा सके।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक और दो अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिनमें एक नामजद अभियुक्त असलम खान भी शामिल है। यह बिना चोट वाला प्रकरण है। इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 20019/2023 में आवेदक को अंतरिम सुरक्षा दी थी। आरोप-पत्र को रद्द करने की कार्यवाही पर इस न्यायालय में विचार चल रहा है। आवेदक का आपराधिक इतिहास भी वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। अभिलेख पर मौजूद सभी तथ्यों को देखते हुए, आवेदक और सूचनाकर्ता के बीच वैवाहिक विवाद के कारण आवेदक को झूठे प्रकरण में फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और अब हिरासत में पूछताछ के लिए आवेदक की ज़रूरत नहीं है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।



9. यदि आवेदक - **मोहम्मद अली** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

ए. पांडे